न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 170/2018

जगदीश पुत्र चननसिंह जाति कुम्हार नि. लालगढ जाटान तह.सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

बनाम

1.सुरजाराम पुत्र गणपतराम जाति जाट नि. लालगढ जाटान तह.सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2.रायसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट नि. लालगढ जाटान तह.सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3.स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेंन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
दिनांक 03.10.2018

उपस्थिति—
श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलांट
श्री पी.एस. बराड़ अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
श्री एम.एल. सहारण अभिभाषक रेस्पो. सं. 2
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—22/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी /रेस्पों. सं. 1 ने प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251 क के तहत पेश कर चक 18 एसडीएस के प.नं. 18/150 मु.नं.46 के कि.नं. 4 व 3 में उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर डेड डेड बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

(A)अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के पास अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है व प्रा. पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

(B)प्रकरण में पटवारी हलका द्वारा तहसीलदार को रिपोर्ट प्रेषित की गई।

(C)सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दि. 3.10.18 को आवेदित रास्ता स्वीकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i)विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रा.का.अ. की धारा 251ए के नियम 69 की पालना नही की है। अधी. न्यायालय द्वारा पटवारी हलका की रिपोर्ट पर निर्णय पारित किया है। इस संबंध में वकील अपीलांट ने आर.आर.टी 2017 (1) पेज 342, 2016(2) आर.आर.टी. की नजीरें पेश की और कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधारों के विपरीत पारित किया है, जो निरस्त किया जावे। आर.आर.टी. 2017(1) पेज 343 में यह उल्लेख है ।

"रा.का. अधि.1955 धारा 251ए विचारण न्यायालय ने रास्ता प्रदान करने का आदेश दिया–अपील में आदेश यथावत रहा–अपील पोषणीय नही है व निगरानी में परिवर्तित की–नियम 69 आज्ञापक है–एस.डी.ओ. को या तो स्वयं अथवा अधिकारी जो भू.अ.नि. से नीचे के स्तर का ना हो, से निरीक्षण कराना चाहिए–आज्ञापक प्रावधान की अपालना –निर्णीत आदेश अपास्त किया व प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।

(ii)विद्वान अधिवक्ता रेस्पों ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकार किया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) इस मामले में अधी. न्यायालय की पत्रावली पर रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व पटवारी हलका की रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की गई है। जबकि रा. का. अधि. की धारा 251 के नियम 69 के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक से कम रैंक के अधिकारी की रिपोर्ट के अभाव में रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता।

(b) अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध केवल पटवारी हलका रिपोर्ट जो बिना तारीख की है, उस पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। जो तहसीलदार द्वारा दिनांक 11.08.17 को सी.एस. से अग्रेषित की है। उक्त रिपोर्ट को मानकर अधी. न्यायालय ने हूबहू स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया है। उक्त रिपोर्ट में कहीं भी अत्यांतिक रास्ते का विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दोषपूर्ण प्रतीत होता है।

(C) इस प्रकार स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय द्वारा रा.का.अधि. की धारा 251 ए के नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही रास्ता स्वीकृत किया है, जो न्यायोचित प्रतीत नही होता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधानी आदेश दिनांक 03.10.2018 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियम 69 की पालना करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर विधिनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर